न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची)

वाद संख्या– M–231/2016, धारा–107 द०प्र०सं०

धनेश्वर महतो.....प्रथम पक्ष।

बनाम

गंगाधर महतो वगैरह.....द्वितीय पक्ष।

: तिथि	आदेश	
14/07/2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, सोनाहातु द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द0प्र0सं0 की धारा 107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई। थाना प्रभारी, सोनाहातु के DR 988/16, दिनांक–19/12/2016 में अपने जाँच प्रतिवेदन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता संख्या–47, प्लॉट संख्या–307, रकबा–7½ डी0 जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव स्थिति है। इस विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच अप्रिय घटना हो सकता है। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने उपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद पूर्व से जमीनी विवाद एवं आपसी झगड़ा के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष गवाही:– गवाह संख्या–01 केशव चन्द्र महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में जमीन को लेकर विवाद है, कुल रकबा–47 डी0 मध्ये 7½ डी0 में विवाद है। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को गाली–गलौज करता है। गाली–गलौज का दिनांक–30/11/16 है, उसी दिन झगड़ा भी हुआ था। द्वितीय पक्ष के लोग प्रथम पक्ष को कुँआ आने–जाने नहीं देता है, सिंचाई के लिए पानी देता है, द्वितीय पक्ष के द्वारा काड़ा को बाँधकर फसल बर्बाद किया जाता है। अभी भी प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष धमकी देता है। मैं केवल 30/11/16 कोदेखा हूँ, उसके बाद कभी भी नहीं देखा हूँ। गवाह संख्या–02 धनेश्वर महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में जमीन को लेकर विवाद है, विवादित रकबा–7½ डी0 दो जगह है। एक जगह 2 डी0, एक जगह 5½ डी0 है। 7½ डी0 जमीन को पाने के लिए राँची ट्रेजरी में केस किया हूँ, क्योंकि यह खतियानी जमीन है। विवादित जमीन मेरे बड़े भाई के हिस्से में है और इस जमीन को द्वितीय पक्ष के लोग रजिस्ट्री पट्टा द्वारा खरीदे है। कुँआ से खेत में पानी जाने का रास्ता है लेकिन वर्त्तमान में उस जमीन को द्वितीय पक्ष के लोग खरीदे है। कुँआ इजमाइल है और मेरे खानदान के सभी लोग उसका खेती कार्य के लिए उपयोग करते है द्वितीय पक्ष के लोग मेरे जमीन को भैंस, बकरी बाँधकर पुवाल रखकर खराब कर रहे है। द्वितीय पक्ष गवाही:– गवाह संख्या–01 मनोज कुमार महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन को हमलोग द्वितीय पक्ष को बेचे है, हमलोग द्वितीय पक्ष से अपने सुविधा के अनुसार एक–दुसरे से जमीन अदला–बदली कर बिक्री किए है।	

कृ०पृ०उ०

विवादित जमीन में द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा है। बिक्री वाली जमीन और धनेश्वर महतो की जमीन अगल–बगल सटा हुआ है। धनेश्वर महतो अपनी जमीन में बैंगन और मिर्चा की खेती किया है। विवादित जमीन में कुँआ का पानी नहीं जाता है। मैं द्वितीय पक्ष की गवाही इस विषय पर देने आया हूँ कि उभय पक्ष में झगड़ा नहीं हुआ था। प्रथम पक्ष झूठा मुकदमा दायर किया है। उभय पक्ष में कभी भी झगड़ा–झंझट नहीं हुआ है। जब से मेरे पिताजी जमीन अदला–बदली किए है, विवाद खड़ा हुआ है। जमीन में अभी विवाद नहीं होता है।

गवाह संख्या–02

शंकर महतो ने गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि इस केस में मैं द्वितीय पक्ष हूँ विवादित जमीन अदला–बदली करके खरीदा हुआ है। जमीन अदला–बदली प्रथम पक्ष के बड़ा भाई से किए है। जब से जमीन लिए है, मेरा ही दखल–कब्जा है। विवादित जमीन में मैं पुआल रखा हूँ, मवेशी नहीं बाँधते है। विवादित जमीन में कुँआ नहीं है। कुँआ से खेत पटावन का नाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि कुँआ के पटावन नाला को मैं काटा हूँ। धनेश्वर महतो अपनी जमीन में दो–चार बैंगन का पौधा लगाकर सोतिया से पटाता है। प्रथम पक्ष अपना 02 डी0 जमीन मुझे लेने को कहा था, नहीं लिया। तब इन्होने यह केस किया है। प्रथम पक्ष का कभी हमलोग से बाता–बाती नहीं हुआ है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं गवाहों के बयान से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद है। जिस पर प्रथम पक्ष खतियानी रैयत होने के आधार पर एवं द्वितीय पक्ष खरीदगी के आधार पर दावा कर रहे है। भूमि पर स्वामित्व के परख हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है। उभय पक्ष पर हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है और वाद की कार्रवाई के दौरान भविष्य में शांति भंग के संभावना की पुष्टि भी नहीं हो पाई है।

अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापति एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

14/7/17
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।